09 लोक भविष्य खाता PPF

Public Provident Fund

(1) इस योजना में व्यक्ति, अपने नाम से तथा अपने बच्चों, पत्नी के नाम से अलग अलग खाता खोल सकता है तथा बच्चों, पत्नी के नाम के खातों में निवेश कर, आयकर की धारा 80C के तहत कुल निवेश पर छूट ले सकता है।

(2) खाता चालू रखने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम रू. 500 जमा करवाना आवश्यक है। इस खाते मे अधिकतम रू. 1,00,000 तक जमा करवा सकते है । (पहले जमा की अधिकतम सीमा रू. 70,000 थी)

(3) यह खाता डॉकघर की किसी भी शाखा में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में खोला/स्थानांन्तरित किया जा सकता है।

(4) पूर्णावधि से पूर्व धन निकासी :– वर्ष में 1 बार, खाता खोलने के वर्ष से 7 वें वित्तीय वर्ष में, निम्न में से जो कम हो, उस राशि का 50%, प्रतिवर्ष योजना के पूर्णावधि तक आहरित किया जा सकता है।

(अ) जिस वर्ष आहरण किया जा रहा हो, उसके 4 वर्ष के अंत में, खाते में शेष राशि या

(ब) आहरित किये जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में खाते मे शेष राशि –

अर्थात् यदि कोई व्यक्ति 31.03.2008 को या इसके पूर्व खाता खोलता है तो सातवें वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012–13 के दौरान कभी भी वर्ष में 1 बार

i. 31–03–2008 की स्थिति मे शेष राशि या

ii. 31–03–2012 की स्थिति में शेष राशि

दोनो में से जो कम हो उस राशि के 50% तक आहरण किया जा सकता है।

(5) यदि किसी कारणवष वर्ष में 1 बार भी खातें मे राशि जमा नही की जाती है, तो प्रतिवर्श रू.100 की पेनाल्टी तथा रू. 500 न्यूनतम निवेश की दर से निवेश कर खाता पुनः चालू किया जा सकता है।

(6) ऋण (Loan) सुविधा :– जिस वित्तीय वर्ष में खाता खोला जाता है, उस वर्ष के 2 वर्ष बाद तथा 5 वर्ष की समाप्ति तक ऋण लिया जा सकता है। जिस वर्ष में ऋण के लिये आवेदन किया जा रहा हो तो उस वर्ष के दो वर्ष पहले की समाप्ति पर खाते में शेष रकम का 25% तक ऋण लिया जा सकता है। ऋण का पूर्नभुगतान 36 माह के अंदर किया जा सकता है। ब्याज 1% अधिक दर पर देय होता है। 5 वर्षो के अंदर कितनी भी बार ऋण लिया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि पूर्व में लिया गया ऋण पूर्ण रूपेण जमा किया जा चुका है।

(7) परिपक्वता के पश्चात खाता चालू रखना :– परिपक्वता के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करने पर खाता 5 वर्षों के लिये और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार बढ़ाये गये वर्ष की समाप्ति के 1 वर्ष के अंदर आवेदन देकर खाते को 5 वर्षों के लिये पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है इसी प्रकार खातें को कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है।

(8) यदि कोई व्यक्ति अपने P.P.F. A/c को परिपक्वता के पश्चात न तो बंद करता है, और न ही, उसे आगामी 5 वर्षों के लिये बढ़ाने के लिये आवेदन करता है, तो भी उस खातें में समय–समय पर ब्याज देय होगा।

(9) P.P.F. खाता को किसी भी कोर्ट के आदेश द्वारा कुर्क नही किया जा सकता है।

(10) आयकर का प्रावधान – पी.पी.एफ. में निवेश आयकर बचाने का सबसे ज्यादा भरोसेमंद व फायदेमंद तरीका है क्योंकि इसमें रू. 1,50,000 तक निवेश में धारा 80सी के तहत कटौती मिलेगी तथा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाला पूरा ब्याज आयकर से मुक्त होता है।

(11) समयावधिपूर्व आहरण– आश्रितों के गंभीर बीमारी के ईलाज या स्वयं की उच्च शिक्षा हेतु 5 वर्ष बाद आहरण किया जा सकेगा।